न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/2017

उनवान

1 जगदीश पिता जगन्नाथ जाट (मालोदिया) उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 महिपाल पिता जगन्नाथ जाट (मालोदिया) उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मु.आलोल पुत्री जगन्नाथ जाट पत्नि ओनाड जाट उम्र–वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 मु.सायरी पुत्री जगन्नाथ जाट पत्नी सोजी राम जाट उम्र–वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 मु.छोटी पुत्री जगन्नाथ जाट पत्नी प्रहलाद जाट उम्र–वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6 मु.मनभर पुत्री जगन्नाथ जाट पत्नी सूरजकरण जाट उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

—— **वादीगण**

बनाम

1 मु.नाथी पिता कजोड जाट पत्नी लादू जाट उम्र–वयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 मु.नोसर पिता कजोड जाट पत्नी बद्री जाट उम्र–वयस्क निवासी बावडी (तस्वारिया) तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मु.मोहनी पिता कजोड जाट पत्नी देबीलाल जाट उम्र–वयस्क निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4 दुर्गालाल पिता लादू जाट उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा, रायनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5 शंकरलाल पिता लादू जाट उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा, रायनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6 मु.मगनी पत्नी लादू जाट उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा, रायनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री राजेश वर्मा———वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
श्री सुनिल कुमार शर्मा———अधिवक्ता विपक्षी क्र. 01 लगायत 06

निर्णय

दिनांक — 28.04.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत वाद प्रस्तुत किया। ग्राम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के भाई सोनाराण एवं प्रतिवादी संख्या 04, 05 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 06 के दादी स्वसुर श्री —

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीव.)

हरदेव के हक स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 815/8 रकबा 05–10 बीघा थी। जो उनके द्वारा 99/– रूपये राशि की कीमत में दिनांक 08.06.1965 को वादीगण के पिता श्री जगन्नाथ जाट के पक्ष में बैचान कर, भूमि का कब्जा संभला दिया गया। इस बैचान को तीन रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 08.06.1965 को बिकाव ईकरारनामा पर दो गवाहान के समक्ष निष्पादित किया गया था। वादीगण के पिता श्री जगन्नाथ जाट द्वारा बिकाव के आधार पर भूमि का ईन्तकाल अपने नाम पर खुलवाये जाने विषयक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा आक्षेप स्वरूप यह टिप्पणी अंकित की गई कि भूमि की मालियत राशि करीब 2500/– रूपये है, आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी जमा कराई जावें। तत्पश्चात अनुपालना में श्री जगन्नाथ जाट के द्वारा आवश्यक ईम्पाउण्ड शुल्क 81/–रूपये दिनांक 06.03.1975 को जमा कराये गये। इसी दौरान वादीगण के पिता का देहान्त हो गया, वे अपने जीवनकाल में भूमि को बिकाव के आधार पर अपने नाम पर दर्ज नही करा सके। भू–प्रबन्ध कार्यवाही में वादग्रस्त साबिक खसरा संख्या 815/8 रकबा 05–10 बीघा के नवीन खसरा संख्या 1752 रकबा 1.39 हैक्टयर कायम हुए। हरदेव एवं सोनारायण का भी स्वर्गवास हो चुका है, प्रतिवादीगण उनके विधिक उत्तराधिकारी के रूप में कायम है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.12.2016 को जरिये इन्तकाल संख्या 2420 अपना नाम विरासत से अभिलेखों में दर्ज करवा लिया है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई कानूनन अधिकार निहित नही है। परन्तु राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगती कर, बिकावशुदा भूमि को विरासत से प्रतिवादीगण ने अपने नाम पर करवा लिया।

अतः ग्राम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित हाल आराजी संख्या 1752 रकबा 1.39 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में बिकाव पत्र दिनांकित 08.06.1965 को आधार मानते हुए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का नाम विलोपित कर, के स्थान पर आराजी में वादीगण का हक स्वामित्व निर्धारित करते हुए, सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें, तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 01 से 07 किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 15.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी क्रम 01 लगायत 06 की और अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा द्वारा का वकालतनामा प्रस्तुत होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की ओर से प्रतिरोध/खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाबदावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया निष्पादित बिकावपत्र दिनांक 08.06.1965 पूर्णतया फर्जी एवं कूटरचित तैयार करवाया गया है। राजस्व अधिकारीयों ने तथाकथित बिकावपत्र दिनांक 08.06.1965 को संपूर्ण जांच/परीक्षण के पश्चात संदेहास्पद मानते हुए दिनांक 28.12.1978 नामान्तरकरण खारिज कर दिया था। इसलिए तथाकथित बिकाव पत्र अवैधानिक होकर स्वतः ही काबिले शून्य है। वादीगण किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार होने का अधिकार नही है। अतः वादपत्र सव्यय निरस्त कराना फरमावें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील.)

विपक्षी का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण मे 03 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादी पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। विहित समयावधी में वादी पक्ष द्वारा गवाहान शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किये जाने से चरण समाप्त किया गया, परन्तु वादपत्र से संलग्न राजस्व अभिलखों एवं आवश्यक दस्तावेजात पर लाल स्याही से प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 37 तक के अंकन किये गये। इसी प्रकार से नियत शहादत्त प्रतिवादी चरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से मियाद अवधी में डी.डब्ल्यू प्रस्तुत नही किये जाने से विपक्षी की शहादत्त समाप्त की गई। तत्पश्चात वादी के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा मामलें के अति–आवश्यक होने का कथन रखते हुए, बहस प्रस्तुत की गई, जिससे प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण मे 03 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकि संख्या 01 ! ''आया वादीगण ग्राम फुलियाकलां स्थित साबिक आराजी संख्या 815/8 के पैमाईश पश्चात पडे नवीन आराजी संख्या 1752 रकबा 1.39 हैक्ट. भूमि के राजस्व अभिलेखों से बिकाव को आधार मानते हुए, प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर, सम्पति में वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होकर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 02 ! ''आया वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के घोषित हक हिस्से के उपयोग–उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नही करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का दायित्व वादी के जिम्मे रखा गया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रयपत्र दिनांकित 08.06.1965 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या 815/8 की खरीद वादीगण के पिता श्री जगन्नाथ जाट ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों से की गई थी एवं पैमाईश कार्यवाही में साबिक खसरा संख्या 815/8 से नवीन खसरा नम्बर 1752 बने है। जिसकी ताईद प्रदर्श 10 खसरा मिलान क्षेत्रफल से होती है। प्रदर्श 11 से प्रदर्श 37 दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट ईत्यादि इंगित करते है कि वादीगण पक्ष वक्त खरीद से ही आराजी पर काबिज है। दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने खण्डन स्वरूप ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है, जिससे वादी के तर्को का प्रतिरोध हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण हक स्वामित्व रखता है। उसी अनुसार वादीगण के हक हिस्से में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी भी है।

अतः तनकी संख्या 01 व 02 ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 03! ''आया वादपत्र में प्रस्तुत तथाकथित बिकाव पत्र झूंठा/कूटरचित तथा फर्जी अनरजिस्टर्ड है। उक्त आराजियात पर वादीगण का कोई कानूनन हक अधिकार निहित नही है। वादीगण का वादपत्र गलत एंव झूंटे तथ्यों पर आधारित होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।''

बा–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 06

सहायक कलेक्टर एवं
एस.डी.ओ. अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया। निष्पादित बिकाव पत्र झूंठा/कूटरचित तथा फर्जी होने के समर्थन में प्रतिवादी पक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत नही कराया है। साथ ही लगान देय पर्चियां एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण शुरूआत से काबिज हो, आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

इस प्रकार उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रदर्श दस्तावेजात के अवलोकन करने के पश्चात तनकी संख्या 03 ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती हैं।

प्रतिवादीगण उनके जिम्मे कायम की गई प्रत्येक तनकीयात को सिद्ध/प्रमाणित कराने में असफल रहें है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत इस प्रकरण में कायम 03 तनकियात का निर्णय किये जाने के पश्चात वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्रं के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन से एवं प्रकरण में कायम तनकियात बाद विषलेशण वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादीगण का वादपत्र ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश

वाद–पत्र वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 06 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम फुलियाकलां प.ह.क्षे. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित हाल आराजी संख्या 1752 रकबा 1.39 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का नाम विलोपित कर, के स्थान पर आराजी में वादीगण का हक स्वामित्व निर्धारित करते हुए, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। तहसीलदार फुलियाकलां तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा (राज.)